भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 376

बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

'प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' (पीएम-एसजीएमबीवाई) के अंतर्गत एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा युक्त करना

***376. श्री आलोक शर्मा:**

श्रीमती कमलेश जांगड़े:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से 'प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना' (पीएम-एसजीएमबीवाई) के अंतर्गत 28 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का अपना अंतरिम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें अब तक छत (रूफटॉप) पर स्थापित सौर प्रणालियों की संख्या और इससे लाभान्वित परिवारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और श्रेणी-वार (शहरी और ग्रामीण) विशेषकर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्यों तथा विशेषकर भरतपुर, पलनाडु जिला, बस्तर, नबरंगपुर और देवास-शाजापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मार्च 2027 तक 1 करोड़ परिवारों के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए निर्धारित रूपरेखा और कार्ययोजना क्या है;

(घ) उपर्युक्त स्थानों में निम्न-आय वाले शहरी और ग्रामीण परिवारों को छत (रूफटॉप) पर सौर प्रणाली लगाए जाने के लिए बिना किसी गारंटी (कोलैटरल-फ्री) के ऋण प्रदान करने के लिए ऐसी सौर प्रणाली हेतु आवंटित 22,000 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है;

(ङ.) सौर कांच (सोलर ग्लास) के लिए कच्चे माल पर सीमा शुल्क में कटौती का घरेलू स्तर पर निर्मित 'सोलर मॉड्यूल' की लागत पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार छत (रूफटॉप) पर सौर प्रणाली लगाने वालों को दिन के समय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सौर-घंटों के अनुरूप 'टाइम-ऑफ-डे' टैरिफ को एकीकृत करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

''प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' (पीएम-एसजीएमबीवाई) के अंतर्गत एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा युक्त करना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.03.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 376 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) फरवरी 2024 से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर (RTS) की स्थापना करना है।

पीएमएसजी: एमबीवाई एक मांग-संचालित योजना है, जिसके अंतर्गत देश के सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम से जुड़ा ग्रिड-कनेक्टेड बिजली कनेक्शन है, वे योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके आरटीएस सिस्टम लगवाने के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना के तहत, फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत के बाद से, ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों सहित देश भर में कुल 25,87,685 आरटीएस सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जिससे दिनांक 16.03.2026 की स्थिति के अनुसार, 32,02,697 परिवार लाभान्वित हुए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। इसके अलावा, भरतपुर, पलनाडु, बस्तर, नबरंगपुर और देवास-शाजापुर जिलों में स्थापित आरटीएस प्रणालियों और लाभान्वित परिवारों का विवरण इस प्रकार है: -

राज्य	**जिला**	**स्थापनाएं (संख्या)**	**लाभान्वित परिवार (संख्या)**
राजस्थान	भरतपुर	1,301	1,301
आंध्र प्रदेश	पलनाडु	3,612	3,612
छत्तीसगढ	बस्तर	484	484
ओडिशा	नबरंगपुर	199	199
मध्य प्रदेश	देवास	3,044	3,044
	शाजापुर	603	603

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, जागरूकता उत्पन्न करने, डिस्कॉम अधिकारियों का क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय पोर्टल को उन्नत बनाने, वेंडर आधार में वृद्धि और विभिन्न हितधारकों के साथ अधिक जुड़ाव सहित किए गए प्रयासों के द्वारा आरटीएस स्थापना की प्रगति में तेजी आई है और फरवरी 2026 के महीने के दौरान, औसत प्रति दिन आरटीएस स्थापनाओं से लगभग 8391 घरों को लाभ हुआ है अर्थात 12 दिनों से भी कम समय में एक लाख घरों को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, एमएनआरई ने पीएमएसजी: एमबीवाई के तहत RESCO/उपयोगिता आधारित एकत्रीकरण (ULA) मॉडल को शामिल किया है ताकि डिस्कॉमों/राज्य सरकारों/राज्य द्वारा नामित संस्थाओं को मुख्य रूप से कम आय वाले घरों/परिवारों के लिए RESCO और ULA मॉडल के तहत RTS विकास के लिए सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके।

पीएमएसजी: एमबीवाई के यूएलए मॉडल के तहत, एमएनआरई ने पहले ही 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, डीएनएच और डीडी, तेलंगाना, बिहार और त्रिपुरा में 12.58 लाख स्थापनाओं के लिए स्वीकृति दी है।

इसके अलावा, स्थापना दर में वृद्धि करने के लिए, वित्त वर्ष 2026-27 तक एक करोड़ घरों में RTS स्थापना का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण से लेकर आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी के सीधे वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो रेट प्लस 50 बीपीएस अर्थात् वर्तमान के लिए 5.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्ष की अवधि के लिए कोलेट्रल-फ्री ऋण की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को माफ करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि की शुरुआत करके विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- राष्ट्रीय पोर्टल में नेट मीटरिंग करार को आवेदन का एक हिस्सा बनाया गया।
- वेंडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि पर्याप्त और योग्य वेंडर उपलब्ध हो सकें।
- कुशल मेनपावर तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन, टी.वी. विज्ञापन अभियानों, एफएम स्टेशनों सहित क्षेत्रीय चैनलों पर रेडियो अभियानों आदि के माध्यम से देश में जागरुकता और आउटरीच कार्यक्रम द्वारा योजना के बारे में जागरुकता पैदा की जा रही है।
- राज्यों/डिस्कॉमों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है।
- समय-समय पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।
- शिकायतों के समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए शिकायत समाधान तंत्र स्थापित किया गया है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

इसके अलावा, MNRE और REC लिमिटेड, पीएमएसजी: एमबीवाई के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA) के रूप में, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी डिस्कॉमों के साथ निकट समन्वय में काम करते हैं।

(घ): पीएमएसजी: एमबीवाई के तहत, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एमएनआरई को 22000 करोड़ रुपये का बजट अनुमान (BE) आवंटित किया गया है। यह आवंटन मुख्य रूप से इस योजना के तहत रूफटॉप सौर प्रणाली स्थापित करने वाले परिवारों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के व्यय को पूरा करने के लिए है।

सीएफए के अलावा, बजट में अन्य उप-घटकों पर होने वाले व्यय जैसे, डिस्कॉम और स्थानीय निकायों के लिए प्रोत्साहन, मॉडल सौर गांवों का विकास, नवीन परियोजनाओं के लिए सहायता, आईईसी गतिविधियां, क्षमता निर्माण पहल और कार्यान्वयन एजेंसियों को सेवा शुल्क भी शामिल है ।

यह योजना उपभोक्ताओं को रूफटॉप सौर प्रणाली अपनाने की भी सुविधा देती है ताकि वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कम ब्याज दर वाले ऋण प्राप्त कर सकें, जो वर्तमान में 2 लाख रुपये तक के ऋण पर 5.75% की ब्याज दर पर उपलब्ध हैं।

दिनांक 16.03.2026 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत लगभग 25.87 लाख रूफटॉप सौर प्रणालीयां स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अलावा, 12.72 लाख आवेदकों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 10.24 लाख आवेदनों के लिए ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

(ड.): सोलर ग्लास के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले इनपुट्स में से सोडियम एन्टिमोनेट एक है; हालाँकि, वर्तमान में, सोलर ग्लास के निर्माण के लिए आवश्यक सोडियम एन्टिमोनेट के उत्पादन के लिए देश में कोई कार्यशील उत्पादन क्षमता मौजूद नहीं है। तदनुसार, सौर ग्लास के विनिर्माण में प्रयोग के लिए सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 7.50% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। सोडियम एंटिमोनेट पर बीसीडी की इस कटौती से स्वदेशी सौर कांच निर्माण क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है, क्योंकि इससे इसकी किफायतता बढ़ेगी, जिससे बदले में स्वदेशी सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माताओं की किफायतता में वृद्धि होगी।

(च): विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 14.06.2023 को 'विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2023' अधिसूचित किया है, जिसके अंतर्गत विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक 'मांग प्रतिक्रिया तंत्र' (Demand Response Mechanism) के रूप में 'दिन के समय' (ToD) टैरिफ की शुरुआत की गई है।. ToD फ्रेमवर्क के तहत, बिजली शुल्क दिन के विभिन्न समय खंडों में भिन्न होते हैं ताकि बिजली की उपलब्धता और प्रणाली की मांग को दर्शाया जा सके और घरेलू उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं को बिजली की खपत को दिन के समय पर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जब सौर उत्पादन अधिक होता है। ये शुल्क संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (SERCs) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो स्थानीय मांग और सौर उत्पादन प्रोफाइल को दर्शाने के लिए कार्यान्वयन को अनुकूलित करते हैं। सौर-घंटे टीओडी टैरिफ संरचना के सफल कार्यान्वयन के लिए उपभोक्ता स्तर पर प्रति घंटा उपभोग पैटर्न का अध्ययन करने के लिए स्मार्ट मीटर की स्थापना भी महत्वपूर्ण है।

अनुलग्नक

''प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' (पीएम-एसजीएमबीवाई) के अंतर्गत एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा युक्त करना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.03.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 376 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएसजी: एमबीवाई के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार प्रगति: (दिनांक 16.03.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापनाएं (सं.)	लाभान्वित परिवार (सं.)
1	गुजरात	5,90,294	8,50,984
2	महाराष्ट्र	4,85,502	7,71,862
3	उत्तर प्रदेश	4,14,632	4,19,400
4	केरल	2,07,646	2,12,971
5	राजस्थान	1,56,955	1,61,387
6	आंध्र प्रदेश	1,12,333	1,15,464
7	मध्य प्रदेश	1,03,177	1,06,658
8	असम	1,00,681	1,01,246
9	उत्तराखंड	71,040	71,975
10	तमिलनाडु	59,612	69,991
11	हरियाणा	62,898	70,083
12	ओडिशा	48,361	48,709
13	तेलंगाना	32,019	43,717
14	छत्तीसगढ	38,924	40,345
15	कर्नाटक	17,077	26,262
16	जम्मू और कश्मीर	26,494	26,502
17	बिहार	16,472	17,120
18	पंजाब	11,893	12,003
19	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6,735	10,617
20	हिमाचल प्रदेश	7,833	7,834
21	पुदुचेरी	2,766	2,766
22	त्रिपुरा	2,577	2,588
23	गोवा	2,040	2,403
24	झारखंड	1,907	1,909

25	लद्दाख	1,473	1,473
26	पश्चिम बंगाल	1,347	1,410
27	चंडीगढ़	1,101	1,101
28	मिजोरम	969	971
29	लक्षद्वीप	927	927
30	मणिपुर	892	892
31	दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	622	622
32	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	226	245
33	नगालैंड	184	184
34	मेघालय	46	46
35	सिक्किम	29	29
36	अरुणाचल प्रदेश	1	1
	कुल	**25,87,685**	**32,02,697**
